उत्तर प्रदेश शासन
स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन-2
(नियोजन विभाग)
संख्या-03/2024(707/24)/3/1/35-एसटीसी-2/2024-02 टी0सी0.
लखनऊः दिनांकः 12 मार्च, 2024.

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (नियोजन विभाग) की अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें,101- योजना आयोग/योजना बोर्ड, 05- स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के अन्तर्गत मद संख्या- 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिग व्यय में सम्भावित बचतों से धनराशि रूपये-1,00,000/- (रूपये-एक लाख मात्र) को मानक मद संख्या-15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में पुनर्विनियोग द्वारा स्थानान्तरित कर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(1) बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया जा रहा है।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

2- उक्त पुर्नविनियोग वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-आर0ई0-बजट-1-559-ई-5-192-X-2023-24 दिनांक-06 मार्च, 2024 द्वारा प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-03/2024(707/24)/3/1/35-एसटीसी-2/2024-02 टी0सी0 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(द्वितीय)एम.सी.(सी) अनुभाग-4 उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. आहरण वितरण अधिकारी, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन।
6. अनुभाग अधिकारी लेखा, नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. नियोजन अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।